न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 110/2005

1 सुभाष पुत्र मालाराम।
2 मु. जड़ाई उर्फ जीवणी पत्नी मालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3 मु. रितु पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये नेकस्ट फ्रेण्ड मु. जड़ाई देवी उर्फ जीवणी देवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती सुनिता पत्नी रामकरण।
2 महीपाल पुत्र मालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण प्रतापपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सुभाष वगैरह बनाम श्रीमती सुनिता दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 53/2004 तारिख निर्णय 20.05.2005 एवं तारीख डिक्री 22.11.2005

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 07.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 53/2004 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत में एक दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत जमीन खसरा नम्बर 62/2 तादादी 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/101/1 मीन तादादी 1 बीघा 5 बिस्वा कुल तादादी 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील झुंझुनू के लिए पेश किया। उक्त दावा वादीगण की साक्ष्य के लिए नियत था तथा अभिभाषक संघ झुंझुनू ने दिनांक 10.03.2005 से अदालत मातहत का बहिष्कार कर रखा था। दिनांक 20.05.2005 को अदालत मातहत ने यह कहते हुये दावा को अदम साक्ष्य में खारिज कर दिया कि वादीगण को पहले 2 अवसर दिये जा चुके है तथा आज भी साक्ष्य पेश नही हुई। अदालत मातहत के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलांट्स की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय अदम साक्ष्य में पारित किया गया है। विधि में अदम हाजरी में वाद खारिज करने का प्रावधान है। अदम साक्ष्य में वाद खारिज करने का कोई प्रावधान नही है। दौराने निर्णय विचारण न्यायालय का अभिभाषक संघ ने कार्य बहिष्कार कर रखा था। वकील के अभाव में पैरवी हेतु विचारण न्यायालय को अवसर प्रदान करना चाहिए था स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 3 व आदेश 17 नियम 2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

(1)(घ) सीपीसी के प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय अदम साक्ष्य में पारित किया गया है। विधि में अदम हाजरी में वाद खारिज करने का प्रावधान है। अदम साक्ष्य में वाद खारिज करने का कोई प्रावधान नही है। दौराने निर्णय विचारण न्यायालय का अभिभाषक संघ ने कार्य बहिष्कार कर रखा था। वकील के अभाव में पैरवी हेतु विचारण न्यायालय को अवसर प्रदान करना चाहिए था स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 3 व आदेश 17 नियम 2 (1)(घ) सीपीसी के प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर